

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 03, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा 01, परसपुर पुलिस द्वारा 01, थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा 01, थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शोभाराम पुत्र छेदीलाल निरो ग्राम रसूलपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२३७ / २१, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश चौरासिया पुत्र शिवप्रसाद निरो खजवा मौजा नरौरा भर्पुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२९८ / २१, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जटाशंकर नाऊ पुत्र जगजीवन नाऊ निरो ग्राम कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—१७४ / २१, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजकुमार चौहान पुत्र सतर्झराम निरो चौदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२४७ / २१, 02. जगदम्बा सोनी पुत्र ननकऊ निरो चौदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२४८ / २१, 03. शिवकुमार पुत्र रामसागर निरो सेवठा बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२४९ / २१, 04. केसरी प्रसाद पाण्डेय पुत्र रामदुलारे पाण्डेय निरो नकहरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 12.5 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२५० / २१, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बब्लू गौतम पुत्र तुलसीराम नि�० चमरटोलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—६८९/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परस्पुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनील कहार पुत्र रामदुलारे नि�० ग्राम मोहम्मदपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२३८/२१, 02. रामऔतार पुत्र रामहेत नि�० मोहम्मदपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२३९/२१, 03. प्रताप सिंह पुत्र शंकर सिंह नि�० रुदौली सुवेदार पुरवा थाना परस्पुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२४०/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2021

चोरी के माल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार, 01 नाजायज चाकू भी बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त रहीस को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 03 टच स्क्रीन मोबाइल व 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 05.09.2021 की रात्रि वादी सूरज शुक्ला पुत्र बाबूराम शुक्ला निः 0 महराजगंज जयप्रभा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के घर में घुसकर 03 मोबाइल चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रहीस पुत्र मकसूद निः 0 महराजगंज थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु030सं0-228 / 21, धारा 380,411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु030सं0-230 / 21, धारा 4 / 25 आम्स एकट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः—

01. मु030सं0-20 / 18 धारा 41,380,411 भादवि जी0आर0पी0 आनन्द नगर जनपद महराजगंज।
02. मु030सं0-157 / 18, धारा 379,411 भादवि थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

बरामदगी—

01. 03 टच स्क्रीन मोबाइल।
02. 01 नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उनिः 0 हरिद्वार तिवारी मय टीम।

